राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर
हमीरपुर (हि.प्र.) – 177 005 (भारत)
[भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान]
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR
HAMIRPUR (H.P.) - 177 005 (INDIA)
[An Institute of National Importance under Ministry of Education (Shiksha Mantralaya)]

पत्रांक:एनआईटीएच/प्रशा-517/2025/ 5181-83 दिनांक: 07/08/25.

सूचना

विषयः अनुकंपा श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति हेतु आवेदन

1. **यह संस्थान ऐसे नियमित कर्मचारियों जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई या 55 वर्ष (ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के लिए 57 वर्ष) की आयु प्राप्त करने से पहले विषय पर प्रासंगिक नियमों के तहत चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए हैं**, के पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों से अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत सीधी भर्ती कोटा के तहत एनआईटी के प्रासंगिक भर्ती नियम के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित ग्रुप 'सी' पदों (स्तर -3/4 तक) को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है :-

Sr. No	Name of Post	Vacancy
1	कनिष्ठ सहायक (Level-3/Pay Band 5200-20200/GP 2000)	01
2	तकनीशियन (Level-3/Pay Band 5200-20200/GP 2000)	01
3	आशुलिपिक (Level-4/Pay Band 5200-20200/GP2400)	01

जिन आवेदकों ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए पहले आवेदन किया है अथवा अन्य जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया है और जो विज्ञापित पदों पर करुणामूलक आधार पर नियुक्ति पाने के इच्छुक हैं, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ **परिशिष्ट- 'ए'** में संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन फिर से जमा करना होगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां परिवार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद ,इस कारण से कि मृत कर्मचारी के बच्चे नाबालिग थे, या किसी अन्य वैध कारणों से किसी आश्रित के लिए नियुक्ति की मांग नहीं करता है, इस पर केवल तभी विचार किया जायगा जब सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति 26/06/2002 के बाद यानी आरईसी हमीरपुर से एनआईटी हमीरपुर में रूपांतरण के बाद हुई हो। इस अवधि के बाद किसी भी छूट पर विचार नहीं किया जा सकता है।

2. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और ऊपरी आयु सीमा एनआईटी में गैर-शिक्षण पदों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपने ओ.एम. दिनांक 04.04.2019 में जारी भर्ती नियम 2019 में निर्धारित हैं। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी के विवेक के अनुसार जहाँ भी आवश्यक हो ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली अन्य सभी शर्तें जैसे रिक्तियों की संख्या, पात्रता मानदंड, विलंबित अनुरोध, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विधवा का पुनर्विवाह होना आदि, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर अनुकंपा नियुक्ति पर जारी निर्देशों के अनुसार होंगी।

3. उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार सभी आवश्यक स्व-सत्यापित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र **"कुलसचिव, एनआईटी हमीरपुर (एचपी) -177005"** के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं। सभी प्रकार से विधिवत भरा हुआ आवेदन पहले ही भेजा जाना चाहिए, डाक में देरी से बचना चाहिए ताकि नीचे उल्लिखित समय-सीमा के अनुसार अधोहस्ताक्षरी तक पहुंच सके:

क्र.सं.	गतिविधियां	सारणी
1.	संस्थान की वेबसाइट पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विस्तृत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि	18/08/2025
2.	आवेदन फार्म की हार्डकॉपी जमा करने की अंतिम तिथि	17/10/2025

4. **प्रोफार्मा के साथ दस्तावेजों की चेकलिस्ट अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिए**

i. अनुकंपा के आधार पर नौकरी के संबंध में भरा गया प्रोफार्मा।
ii. शपथ पत्र विधिवत भरा हुआ और मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा हस्ताक्षरित (प्रारूप संलग्न)
iii. वैवाहिक स्थिति के संबंध में वचनपत्र (प्रारूप संलग्न)
iv. अन्य आश्रितों से भरा हुआ सहमति पत्र (प्रारूप संलग्न)
v. मृतक/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ आवेदक के संबंध के संबंध में विधिवत प्रमाणित प्रमाण।
vi. संस्थान के मृत कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
vii. लापता कर्मचारी के मामले में एफआईआर की स्व-सत्यापित प्रतियां और अंतिम रिपोर्ट विधिवत सत्यापित।
viii. शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रति
ix. आवेदक के जन्मतिथि प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
x. मृत कर्मचारी के सभी आश्रितों के पैन और आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
xi आवेदक के जाति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी) की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, विधिवत सत्यापित।
xii. मृत कर्मचारी के सभी आश्रितों के पिछले वित्तीय वर्ष के बैंक विवरण (**1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025** तक) की स्वप्रमाणित प्रति।
xiii. मृत कर्मचारी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में प्रमाण (**परिशिष्ट- ए** के रूप में संलग्न प्रोफार्मा आवेदन के भाग-ए के खंड III, IV और V में उल्लिखित) की स्व-सत्यापित प्रतियां।
xiv. आवेदक की विधिवत सत्यापित तीन नवीनतम फोटो।
xv. प्रोफार्मा में उल्लिखित तथ्यों को साबित करने के लिए नियुक्ति से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज।

5. फार्म भरते समय उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्तर पर तथ्यों को छुपाने/दबाने या गलत/भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। डाक में देरी, आचरण, परीक्षण/साक्षात्कार के परिणाम और परीक्षण/साक्षात्कार के लिए न बुलाए जाने के कारणों आदि के संबंध में उम्मीदवारों या उनकी ओर से किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी रूप में प्रचार करने या अन्य प्रभाव डालने से उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। आवेदन प्रारूप संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

6. कृपया यह भी ध्यान दें कि आपके आवेदन को पात्रता शर्तों की पूर्ति के लिए डीओपीटी ओ.एम. में निर्धारित क्रमांक 1404/02/2012-स्था. (डी) दिनांक 16 जनवरी 2013 एवं समय-समय पर जारी हुए स्पष्टीकरण/संशोधन के आधार पर सत्यापित किया जाएगा। । अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदकों की तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने के लिए आपके आवेदन का मूल्यांकन सलं गित **100-बिंदु पैमाने** पर किया जाएगा जिसमें विभिन्न पैरामीटर होंगे।

नोट:

आश्रित परिवार सदस्य का अर्थ है पति/पत्नी, पूर्ण आश्रित पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) / पूर्ण आश्रित पुत्री (दत्तक पुत्री सहित) / अविवाहित कर्मचारी के मामले में पूर्ण आश्रित भाई या बहन। सेवा के दौरान मरने वाले या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का उद्देश्य, जिससे उसके परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ दिया जाता है, संबंधित कर्मचारी के परिवार को वित्तीय गरीबी से राहत मिलती है और आपातकाल से उबरने में मदद मिलती है।

कुलसचिव
रा. प्रो. सं. हमीरपुर

प्रतिलिपि:

1. निदेशक महोदय को सूचना हेतु।
2. संकाय प्रभारी (कंप्यूटर सेंटर), उपरोक्त दस्तावेज़ को संस्थान की वेबसाइट/अनुशंसित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
3. संस्थान के मृतक कर्मचारी से संबंधित परिवार (सूची के अनुसार)।

परिशिष्ट- 'ए'

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रारूप

From:

....

....

....

....

पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो

To

कुलसचिव,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर
हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश - 177005

आदरणीय महोदया,`

मेरे पति/पत्नी, स्वर्गीय श्री/श्रीमती ....की मृत्यु हो गई है/वे पूर्ण रूप से अक्षम/चिकित्सकीय रूप से अपंग घोषित होने के पश्चात स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं या .... से लापता हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए मेरी उम्मीदवारी (उल्लेखित नाम) पर विचार करें। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र संलग्न है।

(या)

मेरे माता/पिता, स्वर्गीय श्री/श्रीमती ....की मृत्यु हो गई है/वे पूर्ण रूप से अक्षम/चिकित्सकीय रूप से अपंग घोषित होने के पश्चात स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं या .... से लापता हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए मेरी उम्मीदवारी (उल्लेखित नाम) पर विचार करें। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र संलग्न है।

मैं आगे यह भी बताता हूँ कि मैं एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग से हूँ। मैं ....द्वारा जारी दिनांक ....का जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अपेक्षित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई है। मैंने प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न किए हैं।

आपका धन्यवाद, सादर,

दिनांक:____________________

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम:.............................

दिवंगत की पत्नी/पुत्र/पुत्री
श्री/श्रीमती ....

पूर्व (पदनाम एवं विभाग एनआईटीएच)
कर्मचारी संख्या ____________________

सेवा के दौरान मरने वाले / अमान्य पेंशन पर सेवानिवृत्त होने वाले एनआईटी हमीरपुर के कर्मचारी के आश्रितों के रोजगार के संबंध में प्रोफार्मा

भाग- ए

I(a)	एनआईटी हमीरपुर के कर्मचारी का नाम (मृत/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त)।	
(b)	कर्मचारी का पदनाम.	
(c)	क्या यह एमटीएस (पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी') है या नहीं?	
(d)	कर्मचारी की जन्म तिथि.	
(e)	चिकित्सा आधार पर मृत्यु/सेवानिवृत्ति की तिथि।	
(f)	प्रदान की गई सेवा की कुल अवधि.	
(g)	चाहे स्थायी हो या अस्थायी.	
(h)	क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित हैं	
II (a)	नियुक्ति हेतु उम्मीदवार का नाम	
(b)	कर्मचारी के साथ उसका संबंध।	
(c)	जन्मतिथि	
(d)	शैक्षणिक योग्यता	
(e)	क्या मृतक कर्मचारी की विधवा/विधुर ने पुनर्विवाह किया है।	
(f)	क्या मृतक/सेवानिवृत्त कर्मचारी की पत्नी/पति रोजगार में है, यदि हां तो ब्यौरा दें।	
(g)	क्या किसी अन्य आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है।	
III	कुल बची हुई सम्पत्तियों का विवरण, जिसमें राशि भी शामिल है	
(a)	पारिवारिक पेंशन + पेंशन (यदि कोई हो, तो उसकी पूर्ववर्ती सेवा पर) प्रति माह	
(b)	DCRG से प्राप्त रकम	
(c)	प्राप्त शेष जीपीएफ, यदि कोई हो।	
(d)	जीवन बीमा पॉलिसियों का विवरण- एलआईसी, पीएलआई, निजी बीमा कंपनियां आदि और प्राप्त कुल राशि	
(e)	चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण तथा परिवार द्वारा उनसे अर्जित वार्षिक आय।	

(f)	सी.जी.ई. बीमा (जी.आई.एस.) प्राप्त राशि	
(g)	छुट्टी का नकदीकरण- प्राप्त राशि	
(h)	कोई अन्य परिसंपत्तियां और उनकी मासिक आय .	
	कुल	
IV	देयताओं का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो।	
V	मैं अपनी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न कर रहा हूं: -	

क्र. सं.	योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय	सत्र	रोल. नंबर	संलग्न प्रमाणपत्रों की संख्या

VI	कर्मचारी के सभी आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण (यदि कुछ कार्यरत हैं, तो उनकी आय और क्या वे एक साथ या अलग-अलग रह रहे हैं):-				
क्र. सं	नाम	मृतक कर्मचारी के साथ संबंध	आयु	पता	नियोजित हैं या नहीं, यदि नियोजित हैं तो रोजगार और परिलब्धियों का विवरण

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर तथा दिनांक

घोषणा/वचन

1. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने उपरोक्त आवेदन में दिए गए सभी तथ्यों के प्रमाण के रूप में सभी सही और प्रासंगिक प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न किए हैं। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए तथ्य, मेरी जानकारी के अनुसार, सही हैं। यदि भविष्य में यहाँ उल्लिखित कोई भी तथ्य गलत या मिथ्या पाया जाता है, तो मेरी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं इस प्रपत्र के भाग-ए के 1 (ए) के सामने उल्लिखित कर्मचारी पर आश्रित अन्य परिवार के सदस्यों का उचित रूप से भरण-पोषण करूँगा और यदि किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि उक्त परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या मेरे द्वारा उनका उचित रूप से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो मेरी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम: ....

पता: ....

....

....

....

प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी...................................... को मैं जानता हूँ तथा उनके द्वारा बताए गए तथ्य सही हैं। मैंने उम्मीदवार द्वारा बताए गए तथ्यों की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करने के बाद यह निर्णय लिया है।

दिनांक:

किसी राजपत्रित अधिकारी, प्रधान ग्राम पंचायत/नगरपालिका समिति/निगम के हस्ताक्षर

(कार्यालय के उपयोग के लिए ही)

मैंने अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी .... द्वारा उल्लिखित तथ्यों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन किया है और इसे सही पाया है।

दिनांक:

एनआईटी हमीरपुर द्वारा प्रतिनियुक्त
अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम..
(कार्यालय की मुहर)

भाग-बी

(जिस कार्यालय में नियुक्ति प्रस्तावित है, उसके अनुसार भरा जाएगा)

(I)(a)	नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का नाम.	
(b)	कर्मचारी के साथ उसका संबंध।	
(c)	आयु (जन्म तिथि), शैक्षिक योग्यता और अनुभव, यदि कोई हो।	
(d)	पद (ग्रुप सी) जिस पर रोजगार प्रस्तावित है	
(e)	क्या उस पद पर अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत निर्धारित 5% की सीमा के भीतर रिक्तियां हैं।	
(f)	क्या भरा जाने वाला पद एनआईटी में गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती नियमों के अनुसार मंत्रिस्तरीय संवर्ग या तकनीकी संवर्ग सेवा में शामिल है।	
(g)	क्या प्रासंगिक भर्ती नियमों में सीधी भर्ती का प्रावधान है।	
(h)	क्या अभ्यर्थी पद के लिए भर्ती नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करता है।	
(i)	रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग की प्रक्रिया से छूट के अलावा और क्या छूट दी जानी है?	

(II)	क्या भाग-ए में उल्लिखित तथ्यों का कार्यालय द्वारा सत्यापन किया गया है और यदि हां, तो अभिलेखों का उल्लेख करें।	
(III)	यदि कर्मचारी की मृत्यु/सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से अधिक समय पहले चिकित्सा आधार पर हो गई थी, तो मामला पहले क्यों नहीं प्रायोजित किया गया?	
(IV)	विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष की व्यक्तिगत अनुशंसा। (उनके हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर सहित)	

भाग -सी

(अनुकंपा नियुक्ति के लिए अंक आधारित योग्यता प्रणाली के तहत 100 अंक पैमाने पर अंक मूल्यांकन)

क्रं. सं.	पैरामीटर	पैरामीटर को आवंटित अंक	उम्मीदवार द्वारा अर्जित अंक
1	एनपीएस के तहत प्राप्त मूल पारिवारिक पेंशन/पेंशन/मासिक राशि	20	
2	सरकारी कर्मचारी की चिकित्सा आधार / सेवानिवृत्ति पर मृत्यु पर परिवार द्वारा प्राप्त एकमुश्त राशि (DCRG, CGEGIS, GPF/NPS और अवकाश नकदीकरण के तहत प्राप्त एकमुश्त राशि)	10	
3	परिवार के कमाने वाले सदस्यों की मासिक आय और संपत्ति से आय	05	
4	चल/अचल संपत्ति, सावधि जमा/बैंक जमा/निवेश आदि सहित लेकिन ऊपर (2) में उल्लिखित एकमुश्त राशि को छोड़कर	05	
5	आश्रितों की संख्या	06	
6	अविवाहित बेटियों की संख्या	08	
7	नाबालिग बच्चों की संख्या	08	
8	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु / चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति की तारीख को मृतक के प्रतिष्ठित बैंकों से संस्थागत ऋण या ऋण देनदारियों के लिए अंक	05	
9	लेफ्टओवर सर्विस	14	
10	तत्काल राहत के लिए अंक	15	
11	दिव्यांगता और पुरानी बीमारी के मामलों वाले व्यक्ति	04	
	कुल	**100**	

<u>नोट:</u>

विधवा/पत्नी को बोनस अंक: आरएमपी के तहत आवंटित अंकों के अलावा, आवेदक को 15 बोनस अंक आवंटित किए जाएंगे यदि वह मृत कर्मचारी की विधवा / पत्नी है जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुई है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर
हमीरपुर (हि.प्र.) – 177 005 (भारत)
[भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान]
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR
HAMIRPUR (H.P.) - 177 005 (INDIA)
[An Institute of National Importance under Ministry of Education (Shiksha Mantralaya)]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना - अंक आधारित योग्यता प्रणाली और चयन की प्रक्रिया

---

1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की अनुकंपा नियुक्ति योजना के लिए नोडल विभाग है। तदनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले अनुरोधों/आवेदनों से निपटने और ऐसे अनुरोधों/आवेदनों के निपटान के लिए केंद्र सरकार के तहत अनुकंपा नियुक्ति पर समेकित निर्देश कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/2012-स्था.(डी) दिनांक 16.04.2013 जारी किए हैं।

2. डीओपीटी के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में संदर्भित निर्देशों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अपनी 46वीं बैठक में मद संख्या बीओजी/46/2021-10/13 के तहत एनआईटी हमीरपुर में कार्यान्वयन के लिए अपनाया गया है, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.18-7/2017-टीएस.III दिनांक 07.07.2017 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तथा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के निर्णय के अनुसार अधिसूचना संख्या एनआईटी/एचएमआर/प्रशासन/बीओजी-46/202/12029-31 दिनांक 08.12.2021 के माध्यम से सूचित किया गया है।

3. इसके बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 16.1.2013 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 13 में दी गई प्रक्रिया को दिनांक 23.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं. 43019/9/2019-स्था. (डी) के परिशिष्ट में दी गई संशोधित प्रक्रिया से प्रतिस्थापित किया और दिनांक 07.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं. 14014/02/2012-स्था. (डी) के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा/वचन को दो स्थायी सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवाने के प्रावधान को भी हटा दिया। बाद में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 02.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/0212022-स्था.(डी) के तहत अनुकंपा नियुक्ति योजना पर एक मास्टर परिपत्र फिर से जारी किया है, जिसमें आसान संदर्भ के लिए तब तक जारी सभी निर्देशों को समेकित किया गया है।

4. अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य सेवा के दौरान मृत सरकारी सेवक या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जिससे उसका परिवार गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना रह जाता है , के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करना है, तथा संबंधित सरकारी सेवक के परिवार को वित्तीय अभाव से राहत प्रदान करना और आपातकाल से उबरने में सहायता करना है।

5. इस योजना की प्रभावशीलता इसकी पारदर्शिता पर आधारित है। यह वह पहलू है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करते समय, परिवार की वित्तीय स्थिति का एक संतुलित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसमें उसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों, परिवार की कमाई करने की क्षमता, परिवार का आकार, बच्चों की आयु और परिवार की आवश्यक आवश्यकताओं आदि जैसे अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए, अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के साथ-साथ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोधों/आवेदनों से निपटने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने

के लिए, परिवार की दरिद्र स्थिति को दर्शाने वाले विभिन्न मापदंडों/विशेषताओं के आधार पर अधिकतम 100 अंक प्रदान करने वाली सापेक्ष योग्यता बिंदु प्रणाली को अपनाना अनिवार्य है।

6. तदनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदकों की विभिन्न विशेषताओं/मापदंडों पर विचार-विमर्श के बाद, विभिन्न मापदंडों/विशेषताओं के आधार पर अधिकतम 100 अंक प्रदान करने वाली एक सापेक्ष योग्यता बिंदु प्रणाली तैयार की गई है, जैसा कि **परिशिष्ट-I** में संलग्न है, जिसका आवेदकों की सापेक्ष रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए पालन किया जाना चाहिए।

7. अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किए गए आवेदकों को ग्रुप सी पदों की सीधी भर्ती रिक्तियों के 5% की निर्धारित सीमा के भीतर नियुक्त किया जाएगा।

8. अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले को दिया जाएगा।

9. **परिशिष्ट-I** में उल्लिखित 100 अंक स्केल मापदंडों को लागू करते समय, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कुछ अभ्यर्थी योग्यता में समान अंक प्राप्त करते हैं और सक्षम प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यता तय करने में असमर्थ है, तो अंतिम निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित टाई ब्रेकिंग कारकों पर निम्नलिखित क्रम में विचार किया जाएगा:

   i. **प्रति आश्रित उपलब्ध आय**, अर्थात **परिशिष्ट-I** में निर्धारित पहले तीन वित्तीय मापदंडों (वार्षिक मासिक पारिवारिक पेंशन, कुल टर्मिनल लाभ और कमाने वाले सदस्यों की वार्षिक आय और संपत्ति से आय) का योग, आश्रितों की कुल संख्या से विभाजित। प्रति आश्रित उपलब्ध आय जितनी कम होगी, उन आवेदकों के बीच रैंक उतनी ही अधिक होगी जिनके स्कोर बराबर थे।

   ii. **सरकारी कर्मचारी की बची हुई सेवा**, अधिक बची हुई सेवा वाले सरकारी कर्मचारी से संबंधित आवेदकों को कम बची हुई सेवा वाले आवेदकों की तुलना में अधिक विचार किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि मृतक की बची हुई सेवा जितनी लंबी होती है, परिवार पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है।

   iii. **शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग आश्रितों और अविवाहित पुत्रियों की संख्या ,** ऐसे आश्रितों की अधिक संख्या वाले आवेदक को तुलनात्मक रूप से कम आश्रितों वाले आवेदक की तुलना में वरीयता दी जाएगी।

   iv. **आवेदक की आयु,** अधिक आयु वाले आवेदक को कम आयु वाले आवेदक की तुलना में अपेक्षाकृत वरीयता दी जाएगी।

10. ऊपर बताए गए क्रम में टाई ब्रेकिंग फैक्टर का उपयोग केवल 100-पॉइंट स्केल पर समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों की सापेक्ष योग्यता तय करने के लिए किया जाएगा और केवल तभी जब समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को उपलब्ध रिक्तियों के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है। साथ ही, पूर्ववर्ती कारक को लागू करने के बाद उत्पन्न होने वाली टाई के मामले में, उपरोक्त कारकों के क्रम का सख्ती से पालन किया जाएगा।

11. वेटेज की प्रणाली न केवल संपूर्ण पद्धति को निष्पक्षता प्रदान करती है बल्कि चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और एकरूपता भी सुनिश्चित करती है। अतः, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदकों की तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने के लिए डीओपीटी द्वारा जारी निर्देशों के साथ-साथ वेटेज अंक प्रणाली का सख्ती से पालन किया जाएगा।

12. अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने का दावा करने वाले पात्र उम्मीदवारों द्वारा **परिशिष्ट-I** के अनुसार सापेक्ष योग्यता बिंदु प्रणाली के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।

13. आवेदक को यह वचन भी प्रस्तुत करना होगा कि वह संबंधित सरकारी कर्मचारी पर आश्रित अन्य पारिवारिक सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा और यदि बाद में (किसी भी समय) यह साबित हो जाता है कि परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या उनका भरण-पोषण उसके द्वारा समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल समाप्त की जा सकती है ।

14. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी/दस्तावेज उचित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन होंगे। और, यदि किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज झूठे/गलत/जाली पाए जाते हैं, तो उम्मीदवार के आवेदन को बिना किसी सूचना के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा, नियुक्ति के प्रस्ताव के जारी होने और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी, यदि कोई गलत जानकारी प्रस्तुत की जाती है, तो इससे नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है और/या सेवाओं को तुरंत समाप्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों को भविष्य में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के मामलों पर विचार करने के लिए रिलेटिव मेरिट प्वाइंट सिस्टम (आरएमपीएस)

(A) 100 Point Criterion with 11 variables

(i) एनपीएस के तहत प्राप्त मूल पारिवारिक पेंशन/पेंशन/मासिक राशि (अधिकतम 20 अंक)

क्र. सं.	स्लैब (रु. में)	अंक
1	12500/- तक	20
2	12501/- से 15500/-	18
3	15501/- से 18500/-	16
4	18501/- से 21500/-	14
5	21501/- से 24500/-	12
6	24501/- से 27500/-	10
7	27501/- से 30500/-	08
8	30501/- से 33500/-	06
9	33501/- से 36500/-	04
10	36501/- से 39500/-	02
11	39500/- से अधिक	00

नोट: प्रशासन शाखा द्वारा सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाना है।

(ii) सरकारी कर्मचारी की चिकित्सा आधार / सेवानिवृत्ति पर मृत्यु पर परिवार द्वारा प्राप्त एकमुश्त राशि (DCRG, CGEGIS, GPF/NPS और अवकाश नकदीकरण के तहत प्राप्त एकमुश्त राशि) - (अधिकतम 10 अंक)

क्र. सं.	स्लैब (रु. में)	अंक
1	500000/- तक	10
2	500001/- से 650000/-	09
3	650001/- से 800000/-	08
4	800001/- से 950000/-	07
5	950001/- से 1100000/-	06
6	1100001/- से 1250000/-	05
7	1250001/- से 1400000/-	04
8	1400001/- से 1550000/-	03
9	1550001/- से 1700000/-	02
10	1700001/- से 1850000/-	01
11	1850000/- से अधिक	00

नोट: प्रशासन शाखा द्वारा सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाना है।

(iii) परिवार के कमाने वाले सदस्यों की मासिक आय और संपत्ति से आय - (अधिकतम 05 अंक)

क्र. सं.	स्लैब (रु. में)	अंक
1	कोई आय नहीं	05
2	7500/- या उससे कम	04
3	7501/- से 10500/-	03
4	10501/- से 13500/-	02
5	13501/- से 16500/-	01
6	16501/- और इससे अधिक	00

नोट: दस्तावेजों (जैसे बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, राजस्व अधिकारियों से प्रमाण पत्र, नियोक्ता का बयान आदि) और आवेदक द्वारा प्रस्तुत हलफनामे से सत्यापित किया जाना है।

(iv) चल/अचल संपत्ति, सावधि जमा/बैंक जमा/निवेश आदि सहित लेकिन ऊपर (ii) में उल्लिखित एकमुश्त राशि को छोड़कर – (अधिकतम 05 अंक)

क्र. सं.	स्लैब (रु. में)	अंक
1	Nil/-	05
2	500000/- तक	04
3	500001/- से 1000000/-	03
4	1000001/- से 2000000	02
5	2000001/- से 3000000/-	01
6	3000000/- से अधिक	00

नोट: आवेदक द्वारा प्रस्तुत और सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सेवा रिकॉर्ड, राजस्व/नगरपालिका प्राधिकरणों/संबंधित विभागों आदि से दस्तावेजों/शपथपत्रों/प्रमाण पत्र से सत्यापित किया जाना है। इसके अलावा, चल और अचल संपत्ति के बारे में एक घोषणा आवेदकों से प्राप्त की जाएगी, जो सत्यापन के अधीन होगी।

(v) आश्रितों की संख्या (अधिकतम 06 अंक)

क्र. सं.	आश्रितों की संख्या	अंक
1	03 और इससे अधिक	06
2	02	04
3	01	02
4	00	00

नोट: प्रशासन शाखा द्वारा सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित और प्रमाणित किया जाना है।

(vi) अविवाहित बेटियों की संख्या (अधिकतम 08 अंक)

क्र. सं.	अविवाहित बेटियों की संख्या	अंक
1	02 और इससे अधिक	08
2	01	04
3	00	00

नोट: सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाना है। अविवाहित स्थिति प्रमाण पत्र / शपथ पत्र जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा नोटरीकृत जो कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(vii) नाबालिग बच्चों की संख्या (अधिकतम 08 अंक)

क्र. सं.	नाबालिग बच्चों की संख्या	अंक
1	02 और इससे अधिक	08
2	01	04
3	00	00

नोट: सक्षम अधिकारियों द्वारा सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित और प्रमाणित किया जाना है।

(viii) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु / चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति की तारीख को मृतक के प्रतिष्ठित बैंकों से संस्थागत ऋण या ऋण देनदारियों के लिए अंक: (अधिकतम 05 अंक)

क्र. सं.	देनदारियां	अंक
1	रू. 1500000/- और उससे अधिक	05
2	रू. 900001/- से 1200000/-	04
3	रू. 600001/- से 900000/-	03
4	रू. 300001/- से 600000/-	02
5	रू. 300000/- तक	01

नोट: सहायक दस्तावेज आवेदक द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने हैं

(ix) लेफ्टओवर सर्विस (अधिकतम 14 अंक)

क्र. सं.	लेफ्टओवर सर्विस	अंक
1	25 वर्ष से अधिक	14
2	20 से 25 वर्ष तक	12
3	15 से 20 वर्ष तक	10
4	10 से 15 वर्ष तक	08
5	05 से 10 वर्ष तक	06
6	02 से 05 वर्ष तक	04
7	02 वर्ष से कम	02

नोट: प्रशासन शाखा द्वारा सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित और प्रमाणित किया जाना है।

(x) तत्काल राहत के लिए अंक (अधिकतम 15 अंक)

क्र. सं.	मामलों की अवधि	अंक
1	01 वर्ष तक	15
2	01 वर्ष से अधिक और 02 वर्ष तक	12
3	02 वर्ष से अधिक और 03 वर्ष तक	09
4	03 वर्ष से अधिक और 04 वर्ष तक	06
5	04 वर्ष से अधिक और 05 वर्ष तक	03
6	05 वर्ष से अधिक	00

नोट: प्रशासन शाखा द्वारा सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित और प्रमाणित किया जाना है।

(xi) दिव्यांगता और पुरानी बीमारी के मामलों वाले व्यक्ति (अधिकतम 04 अंक)

क्र. सं.	विवरण	अंक
1	यदि आवेदक विकलांग व्यक्ति है	04
2	यदि आश्रित परिवार का सदस्य (आवेदक के अलावा) विकलांग व्यक्ति है	03
3	यदि आश्रित परिवार का सदस्य एड्स, कैंसर, किडनी फेल्योर, हार्ट अटैक, लिवर सिरोसिस, लिवर/हार्ट/किडनी का अंग प्रत्यारोपण, अल्जाइमर से पीड़ित है।	02

नोट: केन्द्र सरकार में नियुक्ति के लिए समय-समय पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण हेतु DoPT द्वारा यथा परिभाषित विकलांगता सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारियों से प्रदान किए जाने हैं

(B) <u>बोनस अंक</u>

विधवा/पत्नी को बोनस अंक: आरएमपी के तहत आवंटित अंकों के अलावा, आवेदक को 15 बोनस अंक आवंटित किए जाएंगे यदि वह मृत कर्मचारी की विधवा / पत्नी है जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुई है।

नोट: **"अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति योजना - अंक आधारित योग्यता प्रणाली और चयन प्रक्रिया" का हिंदी राजभाषा में अनुवाद करते समय पूरी सावधानी बरती गई है। फिर भी , इसके अंग्रेजी संस्करण को सभी उद्देश्यों और आशय के लिए अधिमान दिया जाए।**

Note: **Every care has been taken while translating the "Scheme for Appointments on Compassionate Basis – Point Based Merit System and procedure for selection" into Hindi Rajbhasha. However, validity of its English version may be preferred for all purpose & intents.**

Undertaking

मैं, ____________________________ स्वर्गीय श्री/श्रीमती ____________________________ का

पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति ____

____ की/का

रहने/रहनी वाला/वाली हूँ , एतद्द्वारा यह वचन देता/देती हूँ कि:

i. मेरी शादी (शादी की तारीख____________) को हुई है, और मेरे पति या पत्नी और बच्चों के नाम इस प्रकार हैं:

   a) ....
   b) ....
   c) ....
   d) ....

ii. मैं अविवाहित हूँ

** (i) **या** (ii) **मैं से जो भी लागू न हो, कृपया काट दें।**

स्थान ....   हस्ताक्षर

तारीख......................................   नाम ....

<u>अन्य आश्रित परिवार के सदस्यों से सहमति पत्र</u>

स्वर्गीय श्री/श्रीमती ____________________

पदनामः_____________

विषय: अनुकंपा श्रेणी के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन
श्री/सुश्री .... से दिनांक .... का आवेदन

श्री/श्रीमती_______________________ स्वर्गीय श्री/श्रीमती__________________ का पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति (मृत कर्मचारी) ने सेवाकाल में मरने वाले कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए आवेदन किया है।

हमें, मृतक कर्मचारी श्री/श्रीमती_________________________के अन्य आश्रित परिवार के सदस्यों को, यदि आवेदक श्री/श्रीमती ______________________को उक्त नियुक्ति दी जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है तथा हम इसके लिए अपनी सहमति देते हैं।

मृतक कर्मचारी के सभी वयस्क आश्रित परिवार के सदस्यों (आवेदक के अलावा) के नाम, पता और दिनांकित हस्ताक्षर :

1) ____

2) ____

3) ____

4) ____

आवेदक द्वारा स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं, ..., श्री/श्रीमती .... (मृतक सरकारी कर्मचारी) का पुत्र/पुत्री/विधवा/विधुर, ... का निवासी, दिनांक .... के अपने आवेदन द्वारा सरकारी कर्मचारी (सेवा में मृत्यु हो गई) या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया है।

मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान एवं घोषणा करता हूँ:

1. मैं दिवंगत सरकारी कर्मचारी श्री/श्रीमती .... के आश्रित परिवार के सदस्यों में से एक हूं तथा अन्य वयस्क आश्रित परिवार के सदस्यों, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, ने सहमति दे दी है कि अनुकंपा श्रेणी के तहत नियुक्ति प्रदान करने हेतु मुझ पर विचार किया जा सकता है।
2. मृतक सरकारी कर्मचारी श्री श्रीमती .... के सभी आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है (आवेदक सहित):

(नोट: यदि विवाहित आश्रित पुत्री ऐसी आवेदक है, तो वैवाहिक परिवार का विवरण अर्थात पति/बच्चों के साथ-साथ वर्तमान पता/व्यवसाय भी प्रदान किया जाना चाहिए।)

क्र. सं.	आश्रित परिवार के सदस्य का नाम और पता	मृतक के साथ संबंध	लिंग	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	क्या कार्यरत हैं, यदि हां, तो ब्यौरा क्या सरकारी/अर्धसरकारी/ निजी/नियमित/अस्थायी/दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं?	सभी स्रोतों से मासिक आय/अर्जन जिसमें रोजगार, व्यवसाय, किराये की आय, संपत्ति से आय आदि शामिल हैं।
1							
2							
3							
4							
5							
6							
		परिवार की कुल मासिक आय (आवेदक सहित)					

3. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा **2** में वर्णित आश्रित परिवार के सदस्यों में से निम्नलिखित मृतक सरकारी कर्मचारी श्री/श्रीमती .... की अविवाहित पुत्रियाँ हैं:

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	पेशा
1				
2				
3				
4				
5				

4. मृतक सरकारी कर्मचारी श्री/श्रीमती .... या मेरे या मृतक के किसी अन्य आश्रित परिवार के सदस्य के नाम पर चल/अचल संपत्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. दो पहिया वाहनों की संख्या (स्कूटर/मोटरसाइकिल आदि):

ii. चार पहिया वाहनों की संख्या (कार/जीप आदि):

iii. आवासीय संपत्ति का ब्यौरा:

स्थान एवं विवरण	प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	चाहे वह स्वयं के उपयोग के लिए हो या किराए पर दिया गया हो	यदि किराए पर दिया गया है, तो मासिक किराया से आय

iv. कृषि भूमि:

स्थान एवं विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)	कृषि भूमि से मासिक आय, यदि कोई हो

v. वाणिज्यिक संपत्ति:

स्थान एवं विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	वाणिज्यिक संपत्ति से मासिक आय, यदि कोई हो

अचल संपत्ति से कुल मासिक आय: रु. ....
(आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक का कुल योग)

5. मृतक सरकारी कर्मचारी श्री/श्रीमती .... के नाम पर देयताओं का ब्यौरा निम्नलिखित है (बैंक ऋण/सरकारी ऋण/अन्य प्रतिष्ठित ऋण एजेंसियों से दिए जाने वाले ऋण, लेकिन निजी/पारिवारिक ऋण को छोड़कर जो सत्यापन योग्य नहीं हैं, **सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/सरकारी कर्मचारी की चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति की तिथि तक):**

क्र.सं.	ऋण का प्रकार	राशि (मृतक की मृत्यु की तिथि के अनुसार)	दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां
(i)	बैंक ऋण देय		
(ii)	देय सरकारी ऋण		
(iii)	अन्य ऋण देने वाली एजेंसियों से देय ऋण		
(iv)	अन्य मूर्त देयताएँ दस्तावेजों के अनुसार सत्यापित की जा सकती हैं/ निर्दिष्ट की जा सकती हैं)		
	कुल		
(कृपया बैंकों/ऋण देने वाली संस्थाओं से संबंधित दस्तावेज/प्रमाणपत्र संलग्न करें।)			

6. मैं यह भी घोषणा और वचन देता हूं कि अनुकंपा श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति मिलने पर मैं मृतक श्री/श्रीमती .... के अन्य आश्रितों/परिवार के सदस्यों, जिनमें नाबालिग बच्चे और अविवाहित पुत्रियां भी शामिल हैं, का भरण-पोषण करूंगा।

7. मुझे ज्ञात है कि यदि बाद में (किसी भी समय) यह साबित हो जाता है कि अन्य आश्रितों/परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या मेरे द्वारा उनका ठीक से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो मेरी नियुक्ति तत्काल समाप्त की जा सकती है।

(आवेदक)

साक्षी

सत्यापन: आज .... दिन.................. (स्थान) पर सत्यापित किया जाता है कि शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(आवेदक)

अभिसाक्षी